रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224652
CG-DL-E-22012021-224652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

मामला सं. : एडी-एसएसआर-20/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सीलिन/वीट्रीफाइड टाइलें चाहे पॉलिस की गई हों या बिना पॉलिस के, जिनमें 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण हो, वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/39/2020-डीजीटीआर.—1. गुजरात ग्रेनिटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल फॉर सेरेमिक टाइल्स तथा सेनेट्रीवेयर, मोरबी सेरेमिक एसोसिएशन और साबरकंठा डिस्ट्रिक सेरेमिक्स एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे **"संबद्ध देश"** भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सीलिन/वीट्रीफाइड टाइलें चाहे पॉलिस की गई हों या बिना पॉलिस के, जिनमें 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण हो," (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदको ने आरोप लगाया है कि चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है और इन पर शुल्क को जारी रखने के लिए समीक्षा करने का अनुरोध किया है ।

क. पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 4/14/2014-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की थी । प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 11 मार्च, 2016 की प्रारंभिक जांच परिणाम सं. 4/14/2014-डीजीएडी के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 12/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । जांच के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 8 अप्रैल, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 4/14/2014-डीजीएडी के माध्यम से पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू किया गया था। संबद्ध वस्तु पर लागू वर्तमान शुल्क की अवधि 28 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी ।

4. गुजरात ग्रेनिटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और साबरकंठा डिस्ट्रिक सेरेमिक्स एसोसिएशन ने अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) तथा दिनांक 08.04.2017 के अंतिम जांच परिणाम को चुनौती देते हुए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल आवेदन सं. 2017 का 11115 तथा 2017 का 11851 दायर किया है । वर्तमान में यह मामला माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

5. आवेदकों ने अनेक घरेलू उत्पादकों (एडीडी) का विस्तार करने का अनुरोध करने वाले से पत्र, विशिष्ट कंपनियों के उत्पादन और वार्षिक रिपोर्ट तथा चीन जन.गण. से एडीडी की समाप्ति पर पाटन और क्षति की संभावना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है और यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी प्रस्तावित जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उत्पादकों से क्षति संबंधी आंकड़े मांग सकते हैं ।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. याचिका में विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्ववर्ती जांच में था अर्थात सभी आकार के सोल्युबल साल्ट, डबल चार्ज, जीवीटी तथा पी जी वी टी पोर्सीलीन/विट्रीफाइड टाइल जिनमें 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण हो, है । इसमें माइक्रोक्रिस्टल टाइलें, फुल बॉडी टाइलें और 5 मि.मी. से कम मोटाई के थिन पैनल शामिल नहीं हैं ।

7. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण क्ले, रंग, पाउडर और रसायनों के प्रयोग से होता है जिसे पानी में एक साथ मिलाया जाता है । इस गारे को पाउडर रूप में बदलने के लिए स्प्रे डायर में पंप किया जाता है जिसे आगे बिस्किट रूप में प्रैस किया जाता है और तत्पश्चात ड्रायर में डाला जाता है । बिस्किटों को 1190-1220 सेल्सियस के तापमान पर भट्टी में डाला जाता है । तथापि, ग्लेज्ड विट्रीफाइट टाइलों के मामले में बिस्किटों को पहले ग्लेज्ड किया जाता है और फिर भट्टी में डाला जाता है । इस प्रकार उत्पादित टाइल आकार देने, सुधार और पॉलिसिंग के लिए जाती हैं, जिससे अंतिम उत्पाद बनता है । तथापि, ग्लेज्ड टाइलों के लिए अलग पॉलिशिंग प्रक्रिया से गुजरना अपेक्षित नहीं है ।

8. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग भवनों, घरों, रेस्टोरेंटों, सिनेमा हॉलों, हवाई अड्डों, स्वीमिंग पुल, रेलवे स्टेशनों आदि में फर्श और दीवारों की कवरिंग में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को भार या क्षेत्र में मापा जाता है । वर्तमान आवेदन के लिए सूचना वर्ग मीटर में व्यक्त क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत की गई है ।

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । 2 फरवरी, 2017 तक विचाराधीन उत्पाद 69071010, 69071090, 69079010 और 69079090 के तहत वर्गीकृत योग्य था । तत्पश्चात विहित कोडों को 69072190, 69072300, 69073010 और 69074010 में संशोधित किया गया है । तथापि, आवेदकों ने बताया है कि इस उत्पाद को 69072190, 69072300, 69073010 और 69074010 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है । तद्नुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ टैरिफ शीर्ष 6907 पर विचार किया है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के पर बाध्यकारी नहीं है ।

ग. समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विर्निदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं । आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अधीन समान वस्तु माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

11. वर्तमान आवेदन गुजरात ग्रेनिटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल फॉर सेरेमिक टाइल्स तथा सेनेट्रीवेयर, मोरबी सेरेमिक एसोसिएशन और साबरकंठा डिस्ट्रिक सेरेमिक्स एसोसिएशन द्वारा दायर अपने सदस्यों की ओर से किया गया है । यह आवेदन संबद्ध वस्तु के 126 घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है । इसके अलावा, 78 उत्पादकों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं ।

12. आवेदकों ने बताया है कि देश में संबद्ध वस्तु के लगभग 244 उत्पादक हैं, जिनमें से अधिकांश बिखरे हुए एमएसएमई क्षेत्र से हैं और अलग-अलग उत्पादकों का हिस्सा कम है। आवेदकों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित जांच की प्रक्रिया के दौरान वह विभिन्न घरेलू उत्पादकों को लिखें और संगत सूचना मंगाएं ।

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उनकी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध की प्राप्ति पर निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की जा सकती है । वर्तमान मामले में निर्णायक समीक्षा की शुरूआत के लिए अनुरोध घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों ने किया है तथापि, वह घरेलू उत्पादक जो घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं, अभी आवेदन में अभिज्ञात नहीं हैं । आवेदकों ने अनुरोध किया है कि भारत में सेरेमिक टाइल उद्योग एक असंगठित उद्योग है जिसमें गुजरात के मोरबी और हिम्मतनगर में स्थित अनेक लघु उत्पादक शामिल हैं । यह भी बताया गया है कि इतने कम समय में वर्तमान मामले में 25 प्रतिशत से अधिक घरेलू उत्पादन वाले घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के लिए क्षति संबंधी आंकड़े एकत्रित करना व्यवहार्य नहीं था । यह भी बताया गया है कि 25 प्रतिशत से अधिक हिस्से वाले उत्पादकों के आंकड़े देने के लिए आवेदकों को 70-80 से अधिक उत्पादकों के आंकड़े देने होंगे ।

14. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि इस उत्पाद के लिए उद्योग की असंगठित प्रकृति के कारण वह अभी घरेलू उत्पादकों से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है । तथापि, एसोसिएशन ने अपने पत्र में जांच की शुरूआत के पश्चात घरेलू उत्पादकों के लिए आंकड़े एकत्र करने और उन्हें प्रदान करने के लिए प्रयास के बारे में बताया है ।

<u>पाटन की संभावना</u>

15. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है । आवेदकों ने दाव किया है कि चीन में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं । आवेदकों ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को अनुबंध-। के पैरा 7 और 8 के उपबंधों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए । आवेदकों ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु यूएसए को उचित तीसरे देश के रूप में अभिज्ञात किया है और बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत निर्धारित करने हेतु भारत से यू एस ए को निर्यातों की कीमत पर भरोसा किया है। इसके अलावा, समुद्री भाड़ा, बीमा और यथा लागू सीमाशुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना द्वारा सामान्य मूल्य ज्ञात किया जा सके ।

16. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय मालभाड़ा और वैट वापसी के लिए मीमत समायोजन किए गए हैं ।

17. उक्त दावे के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

ड. क्षति की संभावना

18. आवेदकों ने तीसरे देशों में पाटन, अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा व्यापार उपचार उपायों को लागू करने, आयात मात्रा में कटौती और भारत में आयातों के संबंध में कीमतों में वृद्धि, चीन के उत्पादकों के पास भारी अधिशेष क्षमताओं, मौजूदा अधिशेष क्षमताओं के बावजूद चीन के उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार अत्यधिक निर्यातोंन्मुख होना शेष विश्व को चीन से निर्यातों में गिरावट और भारतीय बाजार के कीमत आकर्षक होने जैसे आधारों पर क्षति की संभावना का दावा किया है ।

च. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या तो स्वयं या विधिवत रूप से दस्तावेजी याचिका की प्राप्ति पर निर्णायक समीक्षा शुरू की जाएगी । इसके अलावा, याचिका तब विधिवत रूप से दस्तावेजित होगी यदि उसने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्याग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है । उलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक घरेलू उत्पादक असंगठित उद्योग है और एम एस एम ई क्षेत्र में है । लगभग 244 उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में शामिल हैं और अलग-अलग उत्पादक का उत्पादन काफी कम है ।

20. यह भी नोट किया गया है कि व्यापार सूचना सं. 02/2017 दिनांक 12/12/2017 जो निर्णायक समीक्षा से संबंधित है, को ध्यान में रखते हुए व्यापार सूचना के अनुसार यथा अपेक्षित समस्त आवश्यक सूचना सहित आवेदन आवेदकों द्वारा उनके निर्णायक समीक्षा अनुरोध में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

21. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और एमएसएमई उद्योग की असंगठित प्रकृति पर विचार करते हुए तथा नियम 23 (1ख) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा यह समीक्षा करने के लिए अपनी स्वयं की पहल (या स्वत:) के उपबंध के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है । आवेदकों के लिए व्यापार सूचना सं. 02/2017 के अनुसार इस जांच शुरूआत अधिसूचना से 30 दिनों के भीतर विहित ढंग और तरीके से सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

छ. संबद्ध देश

22. इस जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है ।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

23. आवेदकों ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है । तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारणों से 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की अवधि को जांच अवधि माना है ।

क. जांच अवधि हाल की अवधि है और एक पूरे वित्तीय वर्ष को कवर करती है ।

ख. चूंकि वर्तमान जांच में लघु घरेलू उत्पादक शामिल हैं, इसलिए ऐसी जांच अवधि रखना उचित है जिसमें उद्योग का लेखांकन वर्ष शामिल हो ।

ग. प्रस्तावित जांच अवधि हाल की अवधि है और कानून के अनुसार संगत है ।

झ. प्रक्रिया

24. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 8 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 14/14/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित मूल जांच अंतिम जांच परिणाम जिनमें चीन जन गण से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे । प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का यथाअपेक्षित विश्लेषण भी करेंगे ।

25. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

26 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in तथा dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

27. जैसा इस अधिसूचना में उल्लिखित है, आवेदकों के लिए व्यापार सूचना 02/2017 दिनांक 12/12/2017 के तहत जांच शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर विहित ढंग और प्रपत्र में प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है । संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 25 में यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय-सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in तथा dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

34. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

35. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

36. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

37. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

40. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। सार्वजनिक फाइल इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखने के तौर तरीकों को तैयार किया जा रहा है ।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

Case No. AD-SSR- 20/2020

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of "Glazed/Unglazed Porcelain/ Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption" originating in or exported from China PR.

F. No. 7/39/2020–DGTR.—1. Gujarat Granito Manufacturers Association, Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, Morbi Ceramic Association and Sabarkantha District Ceramics Association (hereinafter referred to as the "applicants") have jointly filed an application on behalf of the domestic industry seeking initiation of sunset review concerning anti-dumping duty imposed on imports of Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption (hereinafter referred as the "product under consideration" or "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country") before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules").

2. The Applicants have alleged that the expiry of duty is likely to lead to dumping and injury to and have requested for review and continuation of duties imposed on the imports of subject goods originating in or exported from China.

A. Background

3. The Designated Authority earlier initiated an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 4/14/2014-DGAD dated 13th October 2015. On the basis of the preliminary findings No. 4/14/2014-DGAD dated 11th March 2016 issued by the Authority, provisional anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 12/2016 – Customs (ADD) dated 29th March 2016. Pursuant to the investigation, the Designated Authority, vide final findings No. 4/14/2014-DGAD dated 8th April 2017, recommended imposition of definitive anti-dumping duty, which was given effect vide Notification No. 29/2017 – Customs (ADD) dated 14th June 2017. The current duties imposed on the subject goods shall expire on 28th March 2021.

4. Gujarat Granito Manufacturers Association and Sabarkantha Distinct Ceramics Association filed Special Civil Application no. 11115 of 2017 and 11851 of 2017 before Hon'ble High Court of Gujarat challenging notification no. 29/2017-Customs (ADD) and final finding dated 08.04.2017. The matter is at present pending before Hon'ble High Court of Gujarat

5. The applicants have provided letters from a large number of domestic producers (requesting extension of ADD), production and annual reports of specific companies, and information relating to likelihood of dumping, and injury in the event of cessation of ADD from China PR and have submitted that the Designated Authority may call injury data from the domestic producers during the course of the proposed investigations.

B. Product under consideration

6. The product under consideration in the petition is the same as that in the earlier investigation that is Soluble Salt, Double Charge, GVT and PGVT Porcelain/Vitrified Tiles with less than 3% water absorption of all sizes; excluding Micro-crystal tiles, Full body tiles and Thin Panels below 5 mm thickness.

7. The product under consideration is manufactured using clay, color, powder and chemicals, which are mixed together with water. The slurry is pumped to a spray dryer, to convert it to powder form, which goes for pressing into biscuits and then entered into a dryer. The biscuits are entered into a

kiln, at a temperature of 1190 – 1220 Celsius. However, in case of glazed vitrified tiles, the biscuits are first glazed and then entered into a kiln. The tile so produced goes for sizing, rectification and polishing, which gives the final product. However, glazed tiles are not required to go through a separate polishing process.

8. The subject goods are used for coverings floors and walls in buildings, homes, restaurants, cinema halls, airports, swimming pools, railway stations etc. The product under consideration is measured by weight or area. For the present application, the information has been presented in terms of area expressed in square meters.

9. The product under consideration is classified under the Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). Till 2^{nd} February 2017, the product under consideration was classifiable under 69071010, 69071090, 69079010 and 69079090. Thereafter, the prescribed codes have been modified to 69072100 and 69072200. However, the Applicants have submitted that the product is also being imported under 69072190, 69072300, 69073010 and 69074010. Accordingly, the Authority has considered tariff heading 6907 for the purpose of the present investigation. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C. Like Article

10. The Applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic industry and Standing

11. The present application has been filed by Gujarat Granito Manufacturers Association, Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, Morbi Ceramic Association and Sabarkantha District Ceramics Association on behalf of their members. The application has been supported by 126 domestic producers of the subject goods. Further, 78 producers have provided their annual reports and details of production.

12. The Applicants have submitted that there are about 244 producers of the subject goods in the country, of which majority belong to the fragmented MSME sector and the share of individual producers is low. The Applicants have requested the Authority to write to various domestic producers during the course of the proposed investigations and seek relevant information.

13. As per the provisions of Rule 23(1B) of the Anti-Dumping Rules, a sunset review investigation may be initiated by the Authority on its own initiative, or on receipt of a duly substantiated request, by or on behalf of the domestic industry. In the present case, the request for initiation of sunset review has been made by the Applicants on behalf of the domestic industry. However, the domestic producers who would become part of the domestic industry is not identified in the application as of now. The Applicants have submitted that the ceramic tiles industry in India is a fragmented industry with large number of small-scale producers located in Morbi and Himmatnagar in Gujarat. It has also been submitted that, in the present case, it was not feasible to collect injury data for the production of domestic producers accounting for more than 25% of the domestic production, in a short period of time. It has also been submitted that in order to provide data of producers accounting for more than 25%, the applicants would have to provide data for more than 70-80 producers.

14. The Applicants have submitted that because of fragmented nature of the industry for this product, they are not in a position to submit the required information from the domestic producers as of now, however, the associations in their letter have undertaken to make efforts to collect and provide data for domestic producers after initiation of investigation.

Likelihood of Dumping

15. The Applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The Applicants have claimed that producers in China must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 Annexure- I. The Applicants have identified USA as an appropriate third country to determine normal value for China PR and have relied upon the price of exports from India to USA to determine the price in market economy third country. Further, adjustments have been made for ocean freight, insurance and customs duty as applicable, to arrive at the ex-factory normal value.

16. The Authority has computed the export price for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight and VAT refund.

17. Considering the normal value and export price as claimed above, the dumping margin has been determined in accordance with Section 9 A(1)(a) Act. It is noted that dumping margin is above de minimis level.

E. Likelihood of Injury

18. The Applicants have claimed likelihood of injury on the grounds of dumping in third countries, imposition of trade remedy measures by other jurisdictions, reduction of import volume and increase in prices in respect of imports into India, significant surplus capacities with the Chinese producers, capacity expansion by the Chinese producers despite existing surplus capacities, high degree of export orientation, decline in exports from China to rest of the world, and price attractiveness of the Indian market.

F. Initiation of Sunset Review Investigation

19. A sunset review shall be undertaken by the Designated Authority either suo moto or on receipt of a duly documented petition. Further, the petition shall be duly documented if it contains sufficient evidence whether expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. As per the available information, the present case is a case of an industry where more than 90% of the domestic producers are fragmented industry, and are in MSME sector. About 244 producers are engaged in production and sale of the product under consideration, and production of individual producer is quite low.

20. It is also noted that having regard to trade notice no 02/2017 dated 12/12/2017 pertaining to sunset review, the application with all necessary information as required in terms of trade notice has not been submitted by the Applicants in their request for sunset review.

21. Having regard to the facts mentioned in the preceding paragraph, considering the fragmented nature of MSME industry, and provisions of Rule 23(1B), the Authority hereby initiates sunset review investigation under the provision of "*on its own initiative* (or Suo moto) to review whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Applicants are required to submit information in the form and manner prescribed in terms of trade notice no 02/2017 within 30 days of this initiation notification.

G. Subject Country

22. The subject country for this investigation is People's Republic of China.

H. Period of Investigation (POI)

23. The applicants have proposed period of investigation as 1st April 2019 to 31st March 2020. However, having regard to the explanation to Rule 22 of the Anti-Dumping Rules the Authority has considered 1st April 2019 to 30th September 2020 as the period of investigation for the following reasons.

a. The period of investigation is a recent period and covers one full financial year.

b. Since the present investigation involves small scale domestic producers, it is preferable to have an investigation period that includes accounting year of the industry.

c. The proposed investigation period is a recent period and is consistent with the law.

I. Procedure

24. The present sunset review will cover all aspects of the final findings of the original investigation published vide notification no. 14/14/2014-DGAD dated 8th April 2017 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration from China PR. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

25. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. Submission of Information

26. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg13-dgtr@giv.in, adv12-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

27. As mentioned in this notification, the applicants are required to submit information to the Authority in the form and manner required under trade notice 02/2017 dated 12/12/2017 within 30 days from the date of initiation. The known exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

28. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email address mentioned in paragraph 25 above.

29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time-Limit

30. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@giv.in, adv12-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

32. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

L. Submission of information on confidential basis

33. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

34. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

35. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

36. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

37. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

41. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

42. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.22 22:17:40 +05'30'